दिनांक-04.07.2016 को उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में की गई बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम उपायुक्त लातेहार ने उपस्थित पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त किये एवं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गईः-

उपायुक्त, लातेहार के द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत 5000 (पाँच हजार) लाभुको के बीच वन भूमि पट्टा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपायुक्त के द्वारा सभी अंचल अधिकारी को सख्त निदेश दिया गया कि दिनांक-27.06.2016 की बैठक में दी गई अंचलवार लक्ष्य का हर हाल में पूर्ण करना है। इस कार्य को अभियान चलाकर करना है। अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि हल्कावार लक्ष्य निर्धारित करें एवं ग्रामसभा की तिथि निर्धारित करें। इसकी सूचना अपर समाहर्त्ता/ अनुमण्डल पदाधिकारी/ जिला कल्याण पदाधिकारी को भी देना सुनिश्चित करें। अंचल अधिकारी स्वंय ग्राम सभा में भाग लें। अंचल अधिकारी, चंदवा, लातेहार, बरवाडीह एवं मनिका को निदेश दिया गया कि अनुमण्डल कार्यालय में जमा आवेदन को खोज बीन कर अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करावें ताकि अनुमण्डलीय स्तरीय समिति के द्वारा निर्णय लिया जा सकें। साथ ही अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि विधवा पेंशन से संबंधित आवेदन स्वीकृति हेतु संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त के द्वारा निदेश दिया गया कि जिस हल्के में वन भूमि पट्टा का कार्य नहीं है उस हल्के का राजस्व कर्मचारी जिला में रहकर भू-अभिलेख कम्प्यूट्रीकरण के कार्य को करायेंगे।

बैठक में अनुपस्थित अंचल अधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडाड़, गारू, हेरंहज एवं बारियातु का दिनांक-04.07.2015 का एक दिन का वेतन स्थगन करने का निदेश उपायुक्त के द्वारा दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक...766/रा0 दिनांक......11.7.2016

प्रतिलिपिः- सभी अंचल अधिकारी, लातेहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार/ जिला कल्याण पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अपर समाहर्त्ता, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/7/2016
उपायुक्त, लातेहार।

D-drive/latestshambhu/a.sir/samiksha/20-02-1481